न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 25/2022
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 13.06.2024

1. श्योचन्द पुत्र नारायण
2. किशनलाल पुत्र लादू
3. गोपाल पुत्र लादू
4. बन्ना पुत्र लादू
5. हजारी पुत्र नन्दा
6. हीरालाल पुत्र नन्दा
7. रमेश पुत्र नन्दा
8. कालू पुत्र नन्दा
9. गन्ना पुत्र नन्दा
10. मनभर देवी पत्नि नन्दा

समस्त जातियान बैरवा समस्त निवासीयान ग्राम – धुवालियां तहसील फागी जिला जयपुर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र जगन
2. राधामोहन पुत्र जगन
3. रामराज पुत्र छीतर
4. दूलीचन्द पुत्र गंगाराम
5. हीरालाल पुत्र बालूराम
6. छीतर पुत्र लादू
7. रतन पुत्र लादू
8. चिरंजीलाल पुत्र गंगाराम
9. रामकुंवार पुत्र कजोड
10. रामस्वरूप पुत्र कल्याण
11. छोटूलाल पुत्र किशनलाल
12. बनवारी पुत्र किशनलाल

समस्त जातियान बैरवा समस्त निवासीयान ग्राम धुंवालियां तहसील फागी जिला जयपुर।

14. अजीतसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत
15. दातारसिंह पुत्र जुवानसिंह जाति राजपूत (नाम हजफ)
16 नरपत सिंह जुवान सिह जाति राजपूत
17. दलपत सिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत
18. सोहन सिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत

समस्त निवासी ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर राज.

19. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील प्रार्थी
श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
श्री दुर्गालाल मेघवंशी वकील अप्रार्थी संख्या 11 व 13
श्री शेरसिंह नरूका वकील अप्रार्थी संख्या 17, 18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल0आर0 एक्ट बाबत

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

(2)

निर्णय दिनांक:– 13.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी सं. 261 के आराजी खसरा नम्बर 288 / 3 रकबा 3.7935 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धुंवालियां, तहसील फागी में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक / LR / 2022 / 1703 दिनांक 05 / 06 / 2022 की पालना में दिनांक 07 / 05 / 2022 को पटवार हल्का परवण से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में हुये सीमाज्ञान दिनांक 07 / 05 / 2022 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्व काश्त कर सकें। जिस हेतु विधिनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनाक 07 / 05 / 2022 एवं आदेश क्रमांक / LR / 2022 / 1703 दिनांक 05.05.2022 को तहसीलदार फागी के आदेशा पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 07 / 05 / 2022 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 07 / 05 / 2022 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 07 / 05 / 2022 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 की तरफ से वकील श्री सत्यदेव सिंह नरूका ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी सं0 17 व 18 की अधिवक्ता श्री शेरसिंह नरूका उपस्थित आये तथा

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी (3) सत्यमेव जयते जिला

जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया कि अप्रार्थी से 17 व 18 की खातेदारी आराजी भूमि खसरा नं. 292, 293 वाके ग्राम धुवालियाँ पटवार हल्का परवण, भू.अभि.नि. क्षेत्र नीमेडा तहसील फागी में स्थित है जिसके अप्रार्थी सं. 17 व 18 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी 17 व 18 की उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी के लगवा है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खसरा नम्बर की आराजीयात के सीमाज्ञान के साथ अप्रार्थी सं. 17 व 18 उक्त वर्णित खसरा नं. 292, 293 की आराजीयात का भी सीमाज्ञान उभयपकारान की उपस्थिति में करवाने का आदेश प्रदान कर दिया जावें एवं बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर दी जावें तो प्रकरण के निस्तारण में सुगमता रहेगी एवं भविष्य में वाद विवाद होने की संभावना नहीं रहेगी। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का पुनः सीमज्ञान व अप्रार्थी सं. 17 व 18 की खातेदारी आराजी खसरा नं. 292 293 का सीमाज्ञान उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करने के आदेश प्रदान कर पत्थरगढ़ी कर दी जावें तो अपार्थी सं. 17 व 18 को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सं0 11 व 13 की और से अधिवक्ता श्री दुर्गालाल मेघवंशी ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी सं0 2, 3, 6, 14, 16 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 2, 3, 6, 14, 16 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी सं0 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13 के अधिवक्ता ने जबाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13 का जबाब बन्द किया गया।

विद्वान अधिवक्ता बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम धुवालिया में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075—2078 वाके ग्राम धुवालिया के आराजी खाता संख्या 261 के खसरा नंबर 288/3 का प्रार्थी

लगातार............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

रिकार्डेड खातेदार है। 07.05.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपसी सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो से विवाद होना बताया है। पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 261 के खसरा नम्बर 288/3 रकबा 3.7935 हैक्टेयर व खाता संख्या 304 खसरा नं. 292, 293 भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुना गया।

13/6/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू